7/3/18

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 7/5/18 को पेश हो।

पुकार! पत्रावली का चयन लोक अदालत हेतु किया गया है पत्रावली वास्ते लोक अदालत कैम्प. खेडली तंवरान दि. 30.6.18 को पेश हो।

30/6/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प खेडली तंवरान में पेश हुई। वादी नं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी नं0 1 के कायम मुकामान मजमें आम में उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी नं0 1 के कायम मुकामान ने कथन किये कि हमारें पिता मथुरालाल की मृत्यु हो चुकी है अतः प्रतिवादी नं0 1 कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। वादी ने कथन किये कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मुर्तहिन का नोट अंकित है, जिसे हटानें का निवेदन किया साथ ही रिकॉर्ड में माधो आ0 गोबरिया एवं मृतक गेंदा का नाम हटाये जानें के कथन किये। मजमें

लहरूलाल

बजरंगलाल

प्रभुलाल पुत्र मथुरालाल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर जो ... तामील ... |
|---|---|---|
| | आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के तहत रहन, मुर्तहिन आदि के अंकन को विलोपित किये जानें के प्रावधान है। जिससे वादीगण मुर्तहिन माधो आ0 गोबरिया को विलोपित किया जाना एवं लक्ष्मीनारायण व मथुरालाल दोनों गेन्दया के पुत्र है तथा गेन्दया के पिता का नाम औंकार है, जिसे दुरूस्त कर गेन्दा के स्थान पर मथुरालाल लक्ष्मीनारायण पुत्रान औंकार दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जियाहेडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 154 रकबा 0.27 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से मुर्तहिन माधो पि0 गोबर्या जाति मीना सा0देह का नोट विलोपित किया जावें तथा गेन्दा के स्थान पर मथुरालाल दर्ज किया जावें। चूंकि मथुरालाल एवं लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्मीनारायण के स्थान पर वादी नं0 1 ता 4 एवं मथुरालाल के स्थान पर प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प खेडली तंवरान

## उनवान

1. लटूरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. बजरंगलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. चमेली बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
4. बादाम पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति नायक निवारीगण चम्पा खेडा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. मथुरालाल पुत्र गेंदिया मृतक जरिये कायम मुकामान–

   1/1. प्रभूलाल पुत्र मथुरालाल

   1/2. द्रोपदी पुत्री मथुरालाल

   1/3. गुलशन पुत्री मथुरालाल

   1/4. लटूरी पुत्री मथुरालाल जाति नायक निवासीगण चम्पा खेडा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. रामकन्या बाई पुत्री स्व0 माधो पत्नी बाबूलाल जाति मीणा
3. सोहनी बाई पुत्री स्व0 माधो पत्नी द्वारकीलाल जाति मीणा निवासीगण बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 143/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जियाहेडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 154 रकबा 0.27 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से मुर्तहिन माधो पि0 गोबर्या जाति मीना सा0देह का नोट विलोपित किया जावें तथा गेन्दा के स्थान पर मथुरालाल दर्ज किया जावें। चूंकि मथुरालाल एवं लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्मीनारायण के स्थान पर वादी नं0 1 ता 4 एवं



Scanned by CamScanner

मथुरालाल के स्थान पर प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 को खातेदार घोषित किया जाता है।"
तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2018 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामणी वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद



Scanned by CamScanner